



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 247]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 18, 2002/कार्तिक 27, 1924

No. 247]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 18, 2002/KARTIKA 27, 1924

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 2002

सं. फा. 9-12/2002/राअशिप.— राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एनसीटीई) अधिनियम की धारा 32 (2) (ग) के साथ पठित धारा 10 (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तिया का प्रयोग करते हुए, परिषद् द्वारा नियुक्त प्रत्येक कर्मचारी की सेवा शर्तों का विनियमन करने के लिए, परिषद् एतद्द्वारा निम्न विनियम बनाती है :

1. **लघु शीर्ष और प्रवर्तन :** इन विनियमों का नाम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (परिषद् द्वारा नियुक्त प्रत्येक कर्मचारी की सेवा शर्तों) विनियम 2002 होगा और ये विनियम उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।
2. **परिभाषा :** विनियमों में प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियों का अर्थ क्रमशः वही होगा जो कि उन्हें राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम में दिया गया है ।
3. **प्रयोज्यता :** ये विनियम परिषद् द्वारा नियुक्त प्रत्येक कर्मचारी के मामले में लागू होंगे ।
4. **परिषद् द्वारा नियुक्त प्रत्येक कर्मचारी की सेवा शर्तों से सम्बन्धित सभी मामलों के बारे में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए कोई अन्य नियम तथा आदेश आवश्यक संशोधनों सहित लागू होंगे !**

किन्तु शर्त यह है कि भारत सरकार द्वारा जारी किए गए ऐसे नियम तथा आदेश जो कि एनसीटीई जैसे स्वायत्त संगठनों के मामले में विशेष रूप से प्रयोज्य नहीं बनाए गए हैं, वे परिषद् द्वारा नियुक्त प्रत्येक कर्मचारी के मामले में लागू नहीं होंगे।

5. परिषद् द्वारा नियुक्त प्रत्येक ऐसे अस्थायी कर्मचारी को, जो कि एनसीटीई मुख्यालय अथवा इसके किसी क्षेत्रीय कार्यालय में नियमित पद का धारक है भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार स्थायी घोषित कर दिया जाएगा।
6. परिषद् का प्रत्येक नियमित कर्मचारी, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित नियमों और आदेशों के अनुसार उपदान लाभ पाने का हकदार होगा।
7. परिषद् का प्रत्येक नियमित कर्मचारी, एनसीटीई सीपीएफ विनियम 2002 के प्रावधानों के अनुसार सीपीएफ योजना के लाभ पाने का हकदार होगा।
8. केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम तथा केन्द्रीय सिविल सेवा (आकरण) नियम जिस रूप में वे इस समय प्रवृत्त हैं तथा समय-समय पर यथासंशोधित रूप में आवश्यक संशोधनों सहित परिषद् द्वारा नियुक्त प्रत्येक कर्मचारी के मामले में लागू होंगे।
9. पदों के विशिष्ट समूह के लिए नियुक्ता प्राधिकारी, अनुशासनिक प्राधिकारी तथा अपीलीय अधिकारी अनुबन्ध में निर्दिष्ट किए गए हैं।

किन्तु शर्त यह है कि समूह 'क' स्तर के पदों पर नियुक्ति केन्द्राय सरकार के अनुमोदन के अधीन होगी।

10. परिषद् के प्रत्येक अस्थायी कर्मचारी के मामले में समय-समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) नियम 1965 आवश्यक संशोधनों सहित लागू होंगे।
11. परिषद् द्वारा संविदा पर नियुक्त प्रत्येक कर्मचारी उन्हीं नियमों से शासित होगा जोकि केन्द्रीय सरकार के संविदा अधिकारियों के मामले में लागू होते हैं।
12. इन विनियमों में निहित किसी भी प्रावधान के बावजूद परिषद्, केन्द्रीय/राज्य सरकारों/ विश्वविद्यालयों/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों/सरकारी क्षेत्र के उद्यमों/सांविधिक, अर्द्धसरकारी, स्वायत्त अथवा अन्य संगठनों को प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरित केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के मामले में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित शर्तों और उपबन्धों से मिलती जुलती शर्तों और उपबन्धों पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर (अल्पकालीन संविदा सहित) नियुक्त कर सकती है।
13. निर्वचन : केन्द्रीय सरकार के किन्हीं नियमों, विनियमों/आदेशों के निर्वचन के सम्बन्ध में कोई शंका होने की स्थिति में उसे निर्णय के लिए केन्द्रीय सरकार को भेजा जाएगा।

एस. के. रॉय, सदस्य सचिव

[सं० विज्ञापन III/IV/असल/131/02]

क.सं	पदा का समूह	नियुक्ता प्राधिकारी	अनुशासनिक प्राधिकारी	ताराण जा सकने वाले दण्ड	सजापूर्णाधिकारी
1.	समूह 'ग' (क.5000-8000 के ग्रेड से निम्नतर) के समकक्ष पद तथा समूह 'घ' पद	राष्ट्रीय अद्यापक शिक्षा परिषद् मुख्यालय में उप सचिव तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में क्षेत्रीय निदेशक	राष्ट्रीय अद्यापक शिक्षा परिषद् मुख्यालय में उप सचिव तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में क्षेत्रीय निदेशक	सभी	सदस्य सचिव
2.	समूह 'ख' के समकक्ष पद तथा समूह 'क' पद	सदस्य सचिव	सदस्य सचिव	सभी	अध्यक्ष
3.	समूह 'क' पद	अध्यक्ष	अध्यक्ष	सभी	कार्यकारी समिति

अनुबंध

NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th November, 2002

F.No. 9-12/2002/NCTE.—In exercise of the powers conferred by section 10 (1) & (2) read with Section 32(2) (c) of National Council for Teacher Education (NCTE) Act 1993 the NCTE hereby makes the following regulations to regulate the conditions of service of every employee appointed by the Council namely :-

1. **Short title and commencement** :- These regulations may be called the National Council for Teacher Education (conditions of service of every employee appointed by the Council) Regulations, 2002. These shall come into force with effect from the date of their publication.
2. **Definition** :- The words and expressions used herein shall have the same meaning respectively assigned to them in the NCTE Act.
3. **Applicability** :- These Regulations shall apply to every employee appointed by the Council.
4. In regard to all matters concerning the service conditions of every employee appointed by the Council, the Fundamental and Supplementary Rules framed by the Government of India and such other rules and orders issued by the Government of India from time to time shall mutatis mutandis apply to every employee of the Council.

Provided that such rules and orders issued by the Government of India as are specifically not made applicable to autonomous organizations like NCTE shall not apply to every employee appointed by the Council.

5. Every temporary employee appointed by the Council holding regular post at NCTE HQ. or in any of its regional offices shall be declared permanent in accordance with the orders issued by the Government of India from time to time.
6. Every regular employee of the Council shall be entitled to gratuity benefits according to the rules and orders of the Government of India as amended from time to time.
7. Every regular employee appointed by the Council shall be entitled to the benefits of the CPF Scheme as per provisions of NCTE CPF Regulations 2002.

8. The Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules and the Central Civil Services (Conduct) Rules for the time being in force course and as amended from time to time shall mutatis mutandis apply to every employee appointed by the Council.
9. The appointing authority, disciplinary authority and the appellate authority for the particular group of posts are specified in the Annexure.

Provided that appointment of Group 'A' level posts shall be subject to the approval of the Central Government.

10. The Central Civil Services (Temporary Service) Rules 1965 of the Government of India as amended from time to time shall mutatis mutandis apply to every temporary employee of the Council.
11. Every employee appointed by the Council on contract basis shall be governed by the same rules as applicable to contract officers of the Central Government.
12. Notwithstanding anything contained in these Regulations, the Council may make appointments by taking officers from Central / State Governments / Universities / Recognized Research Institutions / Public Sector Undertakings / Statutory, Semi Government, Autonomous or other organizations on deputation basis (including short term contract) on terms and conditions similar to those laid down by the Government of India from time to time for Central Government employees transferred on deputation to Central / State Governments / Universities / Recognized Research Institutions / Public Sector Undertakings / Statutory, Semi Government, Autonomous or other organizations.
13. **Interpretation** :- Where any doubt arises as to the interpretation of any of the rules, regulations/instructions of the Central Government, it shall be referred to the Central Government for decision.

S. K. RAY, Member Secy.
[No. Advt. III/IV/Exty/131/02]

ANNEXURE

Sl. No.	Group of Posts	Appointing Authority	Disciplinary Authority	Penalties which may be enforced	Appellate Authority
1.	Posts equivalent to Group 'C' (below the Grade of Rs. 5000-8000) and Group 'D' posts	DS at NCTE HQ. and RD in Regional Offices	DS at NCTE HQ. and RD in Regional Offices	All	MS
2.	Posts equivalent to Group 'B' and Group 'C' posts in the scale of pay of Rs. 5000, 8000 and above.	MS	MS	All	Chairperson
3.	Group 'A' posts	Chairperson	Chairperson	All	Executive Committee